

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)

क: वाद/2021/862

दिनांक : 5/12/21

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

इइमानराम

उकाराम

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 73/20

निर्णय दिनांक :- 2-12-21

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम अश्टवाव के खेत खसरा नम्बर 297 रकबा 4-00 बीघा खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमी नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये 500/ प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल
दिनांक : 5/12/21

कमांक: वाद/2021/863-865
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी अश्टवाव को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी इइमानराम
5. विप्रार्थी उकाराम

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल
दिनांक : 5/12/21

